न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 366/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/677
दायर दिनांक :– 16.12.2025 निर्णय दिनांक :– 29.05.2026

01. अब्दुल शकूर पुत्र अब्दुल करीम जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थी

बनाम

1. कमरदीन पुत्र अब्दुल करीम जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
2. सानिया पत्नी कमरूदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील घंटियाली जिला फलोदी

प्रतिवादीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि.प्रार्थी
2 श्री सिकन्दर मंगलिया अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 91,92A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा अन्य सहखातेदारान के नाम से खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम बाप पटवार हल्का बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 2500/2895 रकबा 0.2833 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2501/2957 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2500 रकबा 6.5154 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा बंट में आता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि का बेचान करने के लिये प्रार्थी से सम्पर्क करके प्रार्थी के सामने उक्त भूमि को बेचान करने का प्रस्ताव रखा जिसको प्रार्थी के द्वारा स्वीकार किया गया और प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मध्य इकरारनामा तहरीर करना तय हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने दिनांक 18.07.2025 को प्रार्थी के पक्ष में उपरोक्त वर्णित भूमि का बेचान का एक इकरारनामा तहरीर व तकमील कर निष्पादन करवाया गया। उक्त इकरारनामा में उल्लेखित शर्तो के अनुसार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को रकम रूपये– 18,00,000/– अक्षरे अठारह लाख रूपये अग्रिम (साई पेटे) रूप में प्रदान किये गये जिसका उल्लेख इकरारनामा में स्पष्ट किया हुआ है। जिसको अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा स्वीकार एंव अंगीकार किया गया है और अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा उसी दिन प्रार्थी को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया कि उक्त भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 17.11.2025 तक प्रार्थी के पक्ष में या प्रार्थी के द्वारा कहे अनुसार किसी अन्य के पक्ष में बेचाननामा निष्पादित करवा दिया जायेगा तथा उक्त भूमि का कब्जा मौके पर प्रार्थी को सुपुर्द करवा दिया गया था जिसका भी इकरारनामा में पूर्ण रूप से उल्लेख किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को उपरोक्त वर्णित भूमि को इकरारनामा में उल्लेखित शर्तो के अनुसार बेचाननामा

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

निष्पादित एंव पंजीबद्व करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा आश्वासन देते रहे लेकिन अभी दिनांक 25.11.2025 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को पुनः निवेदन किया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा इकरारनामा में वर्णित शर्तो को मानने से इन्कार करते हुए उक्त भूमि का प्रार्थी के पक्ष में बेचाननामा निष्पादित एवं पंजीबद्व करवाने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया और प्रार्थी को धमकी दी कि हम हमारी उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान कर रहे है। उक्त इकरारनामा आज भी प्रभाव में होने से प्राथी का उक्त भूमि में हित निहित हो जाने से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार का कोई अन्य किसी तीसरे पक्षकार के पक्ष में संव्यवहार नहीं करे इसलिये प्रार्थी को उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होने से वर्तमान में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री सिकन्दर मंगलिया ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद्पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

जमाबंदी सम्वत 2078–2081 के खाता संख्या 37, 39 ग्राम बाप के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व अन्य वादग्रस्त भूमि सह खातेदार है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना इकरारनामा के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। पत्रावली के संलग्न इकरनामा की चित्र प्रति अनुसार इकरारनामा प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर से निष्पादित किया गया है जिस पर किसी प्रकार के दो गवाह्न के हस्ताक्षर नहीं है और न ही नोटेरी युक्त है। इकरानामा के पीछे के भाग पर प्रयोजन के स्थान पर शपथ पत्र लिखा गया है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित नहीं है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व अन्य वादग्रस्त भूमि सह खातेदार है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना इकरारनामा के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। पत्रावली के संलग्न इकरनामा की चित्र प्रति अनुसार इकरारनामा प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर से निष्पादित किया गया है जिस पर किसी प्रकार के दो गवाह्न के हस्ताक्षर नहीं है और न ही नोटेरी युक्त है। इकरानामा के पीछे के भाग पर प्रयोजन के स्थान पर शपथ पत्र लिखा गया है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को आराजी के उपभोग उपयोग इत्यादि सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya

(सत्य नारायण–I, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक उपखण्ड अधिकारी बाप (फलोदी)